मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त, 2000 (श्रावण 19, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

कुमारी लीला राय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री डोमन सिंह नगपुरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1995-96 (दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, लालसिंह, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनियमिततताएं किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, पन्ना जिले के वन परिक्षेत्र धरमपुर में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री गणेशशंकर बाजपेयी, सभापति, सरकारी उपक्रमो संबंधी समिति का इक्यासीवां, बयासीवां, तिरासीवां, चौरासीवां, पचासीवां एवं छियासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम कांकरखेड़ी के पास खड़ी घाटी की चढ़ाई को कम कराये जाने,

(2) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -
- (क) ग्राम सुल्तानगंज स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
- (ख) ग्राम गोरखपुर स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
- (ग) खमरिया-चादोड़ा तालाब सिंचाई योजना की स्वीकृति दिलाये जाने,
- (घ) उदयपुरा नगर में महाविद्यालय भवन बनाये जाने; तथा
- (ड.) टप्पा देवरी में आई.टी.आई. भवन बनाये जाने,

(3) हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सकरीगढ़ में 10 बिस्तरों वाला चिकित्सालय खोले जाने,

(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर के वार्ड क्र. 31 के ग्राम सूरजनगर से बिसनखेड़ी तक -
- (क) सड़क किनारे स्ट्रीट लाईट लगाये जाने; तथा
- (ख) सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने,

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, गैस अस्पताल, भानपुर, भोपाल के पास से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर को हटाये जाने,

(6) श्रीमती सुशीला देवी ठाकुर, सदस्य, विदिशा जिले के -
- (क) ग्राम गूलरखेड़ी एवं हैदरगढ़ में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने; तथा
- (ख) ग्राम डंगरवाड़ा एवं सौंथर के बीच ओदी नदी पर पुल बनाये जाने,

(7) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के -
- (क) अकलतरा नगर में 132 के. व्ही. ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
- (ख) ग्राम खटोला से अकलतरा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने; तथा
- (ग) बलौदा नगर मे महाविद्यालय भवन बनाये जाने,

(8) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के -
- (क) गोसलपुर-खिन्नी मार्ग को नाबार्ड योजना में सम्मिलित कराये जाने,
- (ख) घाट सिमरिया-प्रतापपुर मार्ग को नाबार्ड योजना में सम्मिलित कराये जाने; तथा
- (ग) कटनी जिले के उमरिया-कुम्ही-ढीमरखेड़ा मार्ग को नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कराये जाने; एवं

(9) श्री अजय रेवनाथ चौरे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
- (क) सौसर तहसील मुख्यालय स्थित चिकित्सालय भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने; तथा
- (ख) कुड्डम - रामपेठ - जोबनी मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

-2-

7. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जावे".

(2) श्री गणेशशंकर बाजपेयी, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

(3) चौधरी राकेश सिंह, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

8. वक्तव्य

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री श्रवण कुमार पटेल, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 27 जुलाई, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्रमांक-1602) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 2 अगस्त, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-4208) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 24 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 25 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री तेजीलाल सरयाम, राज्यमंत्री कृषि, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 26 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, मध्यप्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का लोक सेवा में संविलयन प्रतिषेध विधेयक, 2000 (क्रमांक 27 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री राजा पटैरिया, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् विधेयक, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि.

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 23 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

11. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 18 जुलाई, 2000 को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक-790) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. कल्पना परूलेकर एवं श्री बनवारी लाल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 9 अगस्त, 2000